न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 59 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. नबू पत्नी हमीराराम	**बनाम**	1.हवा पत्नी जालूराम जाति मेगवंशी निवासी अदरीम का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
2. हमीराराम पुत्र वभूताराम जातियान मेगवंशी निवासी अदरीम का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		2.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 156 / 2015 बअनवान नबू वगै. बनाम हवा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन धारीवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री फताराम गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 21.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीनी संख्या 01 की संयुक्त अविभाजित खातेदारी का खेत खसरा संख्या 123 रकबा 84.08 बीघा मौजा अधरीम का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है। वादीनी संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी के पूर्व खातेदारी भीखा, गिरधारी पिता सुगरा जाति मेगवंशी निवासी अधरीम का तला से उनके 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा दिनांक 01.07.1998 को क्रय किया गया था जिससे वादीनी संख्या 01 का अपीलाधीन आराजी में 1/2 हिस्सा है तथा वादी संख्या 02 हमीराराम द्वारा पूर्व खातेदार शिवाराम पुत्र लाखाराम जाति मेघवाल, निवासी अधरीम का तला से उसके 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 29.08.2011 को क्रय किया गया जिसमें वादी संख्या 02 हमीराराम का उक्त खेत में 1/4 हिस्सा खातेदारी में बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो को सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की कोई मौका फर्द लाने के लिए कोई आदेश नहीं हुआ तथा न ही मौका फर्द मौके पर बनाई गई नियमानुसार फर्द बनाते समय उभयपक्ष को नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में शिविर में आनन—फानन में मौका फर्द बनाई गई हैं जिस पर आपत्तियां हेतु कोई समय नहीं दिया गया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बिना आपत्तिया सुने दिनांक 21.05.2018 को ही निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट सरली में पारित किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव भी रबासर कैम्प कोर्ट में उसी दिन पेश किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव पर न तो अपीलांट संख्या 01 के हस्ताक्षर है न ही ऐसी कही रिपोर्ट की गई जिसमें हस्ताक्षर करने से इंकार का उल्लेख किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रपत्र पर अपीलांट संख्या 01 के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट रबासर में पारित किया गया है। कैम्प कोर्ट में राजीनामे एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है जबकि अपीलांट/वादी संख्या 01 द्वारा ऐसी कोई सहमती एवं राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया जिससे एकपक्षीय निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2015 बअनवान नबू वगै. बनाम हवा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 01 को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर दिया जाकर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

21/10/19

(नाथूसिंह भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner